राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा, शासन सचिवालय, जयपुर)
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

दो गज दूरी
मास्क है जरूरी
सावधानी ही सुरक्षा है।

क्रमांक एफ.1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./2021 जयपुर, दिनांक 21 OCT 2021

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,
समस्त राजस्थान।

विषयः—महात्मा गांधी नरेगा योजना की ब्लॉक स्तर पर समीक्षा किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना की आशानुरुप प्रगति के दृष्टिगत प्रत्येक स्तर पर गहन समीक्षा की आवश्यकता है। वस्तुतः धरातल पर योजना की सफल क्रियान्विति में ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर के योजना से जुड़े जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की अहम भूमिका होती है। इस संबंध में आपके स्तर पर ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर के योजना से जुड़े जनप्रतिनिधियों/कार्मिकों के साथ ब्लॉक स्तर पर बैठक आयोजित कर समयबद्व रूप से समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक माह में न्यूनतम दो ब्लॉक्स (पंचायत समिति मुख्यालय) में ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों/कार्मिकों यथा – विकास अधिकारी, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एम.आई.एस. मैनेजर, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक एवं ग्राम रोजगार सहायक आदि के साथ योजना की प्रगति से सम्बन्धित समस्त पैरामीटर्स की विस्तृत एंव गहन समीक्षा की जावे तथा राज्य स्तर से दिए जाने वाले निर्देश की क्रियान्विति सुनिश्चित करावें।

(के.के.पाठक)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव आयुक्त ईजीएस।
3. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एंव जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
5. विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति राजस्थान।

आयुक्त, ईजीएस